संख्या- 23 /2020/853/58-1-20-2/3(27)13टीसी-।।।

प्रेषक,

गरिमा यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य पोषण मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2020**

विषय : राज्य पोषण मिशन के संचालन हेतु सृजित 29 पदों की निरन्तरता बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1253/रा0पो0मि0/2019-20 दिनांक 28.02.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि राज्य पोषण मिशन के प्रभावी संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1175/60-2-2014-2/3(27)/13टीसी-।।। दिनांक 20.05.2014 द्वारा निम्नलिखित 28 पदों को दिनांक 28.02.2015 तक की अवधि के लिए, यदि इसके पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या-25/2019/1477/60-2-2014-2/3(27)/13टीसी-।।। दिनांक 08.05.2019 द्वारा उक्त पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 तक बढ़ायी गयी थी। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3206/60-2-2014-2/3(27)/13टीसी-।।।, दिनांक 08.12.2015 द्वारा निदेशक, राज्य पोषण मिशन का 01 पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य पोषण मिशन के कुल 29 पदों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	रैंक	स्केल	वित्तीय सहायता
1.	महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन	1	आई0ए0एस0 अथवा अन्य किसी सेवा के उपयुक्त अधिकारी/समुचित योग्यता रखने वाले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्त)।	-	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
2.	निदेशक	1	यथासंभव पी.सी.एस. संवर्ग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	तदैव
3.	नोडल अधिकारी आई.सी.डी.एस.	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	तदैव
4.	नोडल अधिकारी स्वास्थ्य/ एन.आर.एच.एम.	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	तदैव
5.	निदेशक, वित्त	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	तदैव
6.	प्रशिक्षण सलाहकार	1	विकास के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
7.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सलाहकार	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
8.	आई0ई0सी0 डिजाइन	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	सलाहकार		का अनुभव		
9.	पोषण विशेषज्ञ	1	पोषण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष काम करने का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
10.	किशोरी एवं महिला सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ	1	महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों पर कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
11.	प्रशासनिक अधिकारी	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति	तदैव
12.	लेखाकार	1	वित्तीय कार्यों में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति	तदैव
13.	एम0आई0एस0 सांख्यिकीय	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
14.	एम0आई0एस0 सांख्यिकीय एक्जीक्यूटिव	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
15.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	5	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग	तदैव
16.	वरिष्ठ सहायक	4	कार्यालय, स्थापना सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/ आउट सोर्सिंग	तदैव
17.	चपरासी सह क्लीनर	3	पद से सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	तदैव
18.	सफाई कर्मचारी	1	पद से सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	तदैव
19.	सुरक्षा स्टाफ	2	पद से सम्बन्धी कार्यों को करने में निपुणता	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	तदैव
	कुल पदों का योग	**29**			

3- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1428/60-2-15-2(27)/13 टीसी-IV दिनांक 25.08.2015 द्वारा उक्त पदों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुए उन विशिष्ट पदों के अनुरूप शैक्षिक योग्यता, अर्हता, संविदा धनराशि एवं अन्य सभी पदों, जिनमें प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात किया जाना है, के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा सृजित उक्त 28 पदों एवं शासनादेश दिनांक 08.12.2015 द्वारा सृजित निदेशक, राज्य पोषण मिशन,उ0प्र0 के 01 पद की दिनांक 01-03-2016 से दिनांक 28.02.2020 तक की निरन्तरता की कार्योत्तर स्वीकृति तथा निदेशक के 01 पर सहित शासनादेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा सृजित 28 पदों अर्थात् कुल 29 पदों की निरन्तरता की दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक की अवधि के लिए, यदि इसके पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102 बाल कल्याण -16-राज्य पोषण मिशन-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2/2574/दस-9824(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीया,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2020/853(1)/58-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

2- मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।

3- निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।